

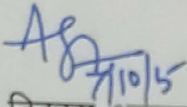
कार्यालय, उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद।

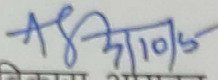
आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का विषय 129)

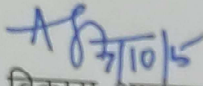
आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.10.2025 को 4:45 बजे अपराह्न	<u>आदेश</u> <u>अभिलेख उपस्थापित।</u> नवगठित जम्होर नगर पंचायत के प्रारूप का प्रकाशन हो गया है। दिनांक-25/09/2025 को समय-4:45 में श्री अयोध्या कुमार, ग्राम-रघुनाथपुर, पो0+थाना-जम्होर, जिला-औरंगाबाद, बिहार से आपति प्राप्त हुआ। आपति निम्नवत् है- इस संबंध में इनके इनके द्वारा कहा गया है, "सरसौली टोला ग्राम रघुनाथपुर का निवासी है, हमलोग परिसीमन के हिसाब से आने वाला भविष्य में हमलोगों का विकास में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दिक्कत का सामना यह करना पड़ सकता है कि जो परिसीमन में वार्ड नं0 04 में जनसंख्या जोड़ा गया है, थाना रोड़ के तरफ से उसमें भविष्य में विकास हाने वाले नहीं है, भविष्य हमारे गाँव की तरफ आ रहे है। मोर डेहरी से स्टेशन पार्किंग तक जो रोड़ है, जनसंख्या इधर ही बढ़ेगा, इस वार्ड नम्बर का परिसीमन बदला जाए।" इस संदर्भ में आपति के जाँच हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं अंचल अधिकारी, औरंगाबाद के द्वारा पत्रांक-3912, दिनांक-01/10/2025 से, तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, ओबरा एवं अंचलाधिकार, ओबरा के द्वारा अपने पत्रांक-827, दिनांक-06/10/2025 से संयुक्त जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें स्पष्ट था कि राजस्व ग्राम सरसौली अन्तर्गत ग्राम-रघुनाथपुर जो भौगोलिक रूप से रेलवे लाईन के दक्षिण में पड़ता है, एवं जम्होर नगर पंचायत के प्रस्तावित वार्ड संख्या-04 के नजदीक है, साथ ही रघुनाथपुर की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 541 है। राज्य निर्वाचन बिहार के पत्रांक-न0नि0-50-07/2025, 3592/दिनांक-02.09.2025 के कंडिका-03 के अनुसार मानक जनसंख्या-731 से 1731 निर्धारित है। ग्राम रघुनाथपुर को एक अलग वार्ड के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता एवं भौगोलिक रूप से राजस्व ग्राम-सरसौली के किसी अन्य प्रस्तावित वार्ड में भी शामिल नहीं किया जा सकता है। कार्यालय के पत्रांक-336, दिनांक-06/10/2025 से नोटिस जारी कर दिनांक-07/10/2025 को सुनवाई हेतु आपतिकर्त्ता को बुलाया गया। सुनवाई के दौरान आपतिकर्त्ता द्वारा अपने किये गये आपति के आलोक में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। <u>अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अंतिम आदेश निम्नवत् है-</u> उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद के द्वारा आदेश दिया गया की अंलाधिकारी, औरंगाबाद/ओबरा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी,	

औरंगाबाद/ओबरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में ग्राम-रघुनाथपुर को एक अलग वार्ड के रूप में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता एवं भौगोलिक रूप से राजस्व ग्राम-सरसौली के किसी अन्य प्रस्तावित वार्ड में भी शामिल नहीं किया जा सकता है। ग्राम-रघुनाथपुर को नवगठित नगर पंचायत, जम्होर के वार्ड-4 में शामिल किया गया है। वार्ड न0-4 के परिसीमन में कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है।


उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद


उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक-368/गो0वि0, दिनांक-7/10/2025
प्रतिलिपि- श्री अयोध्या कुमार, ग्राम-रघुनाथपुर, पो0+थाना-जम्होर,
जिला-औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि-, नवगठित जम्होर नगर पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों
(वार्ड) के परिसीमन एवं गठन हेतु गठित कमिटी के सभी सदस्यों को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद


उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद।